Details of Property of HSVP

367. **SHRI BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A.**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the land measuring 4005 sq meter at Urban Estate, Rohtak has been transferred to ULB department for construction of multi national parking?

b) the year in which the Urban Estate, Rohtak was build up carved out and auctioned by HSVP;

c) the copy of zoning plan of the complete property of Urban Estate, Rohtak;

d) whether the alleged 4005 sq meter area was left out as a open area as per zoning plan of Urban Estate;

e) the authority competent to transfer the HSVP land to ULB Department;

f) the authority under whose signature the said land has been transferred;

g) the authority competent to lease out said land for 99 years in favour of developers/constructors/SPV and

h) for the authority under whose signature the said land has been leased out?

<u>Reply</u>

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

a) Land of Old Police Station, Urban Estate, Rohtak has been transferred to the Urban Local Bodies department on 19.07.2017 for construction of Multi Level Parking, as per CM Announcement code no. 12631 dated 29.05.2016. However, the area of site is 2414.40 sq.mtrs only.

b) Possession of the Old Police Station building was handed over by the Police department to HSVP in the year 2012. This land was planned for a Shopping Mall site, as per revised Demarcation-cum-Zoning Plan approved vide letter dated 13.01.2014. The site was put to auction on 31.01.2014.

c) The copy of Zoning Plan of the site in question is at Annexure-I.

d) No, it was earmarked as a Shopping Mall site.

e) Chairman of HSVP is competent to approve transfer of land to Government departments. Ex-Post-Facto approval of the Pradhikaran was also obtained.

f) Decision of the Hon'ble Chief Minister-cum-Chairman HSVP for transfer to Urban Local Bodies department for multi level parking was conveyed by Chief Administrator HSVP office (vide letter dated 30.05.2017) and possession was handed over by the official of Estate Officer HSVP, Rohtak on 19.07.2017.

g) Decision to lease out the said land in favour of developer was taken in the meeting of Committee of Secretaries on Infrastructure (COSI) in its meeting held on 08.03.2019.

h) Lease agreement shall be executed after completion of construction, which is going on at site.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपत्ति का ब्यौरा

367. **श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) क्या यह तथ्य है कि अर्बन एस्टेट, रोहतक पर 4005 गज मीटर की नापित भूमि बहुस्तरीय राष्ट्रीय पार्किंग के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को हस्तांतरित की गई है;

ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अर्बन एस्टेट रोहतक किस वर्ष में बनाया गया/काटा गया/निलाम किया गया है;

ग) अर्बन एस्टेट, रोहतक की पूरी संपत्ति के जोनिंग प्लान की अनुकृति क्या है;

घ) क्या अर्बन एस्टेट के जोनिंग प्लान के अनुसार अभिकथित 4005 गज मीटर क्षेत्र खाली क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया गया था;

ड) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीन को शहरी स्थानीय निकाय विभाग को हस्तांतरित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कौन है;

च) प्राधिकारी किस के हस्ताक्षर के अधीन उक्त भूमि हस्तांतरित की गई है;

छ) उक्त भूमि को 99 वर्षों के लिए डेलपर्स/कंस्ट्रक्टर्स/एसपीवी पी.वी. के पक्ष में पट्टे पर देने का सक्षम प्राधिकारी कौन है; तथा

ज) उक्त भूमि किस प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन पट्टे पर दी गई है?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा ।

क) पुराने पुलिस स्टेशन, शहरी सम्पदा रोहतक की भूमि को स्थानीय निकाय विभाग को बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 12631 दिनांक 29.05. 2016 के अनुरूप दिनांक 19.07.2017 को हस्तांतरित किया गया है । तथापि इस स्थल का क्षेत्रफल केवल 2414.40 वर्ग मीटर है।

ख) पुराने पुलिस स्टेशन भवन की भूमि का कब्ज़ा पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2012 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया गया था । संशोधित सीमांकन व कटिबद्ध प्लान अनुसार, जो कि दिनांक 13.01.2014 को अनुमोदित हुआ, इस भूमि को एक

शॉपिंग मॉल के लिए नियोजित किया गया । उक्त स्थल की नीलामी दिनांक 31.01. 2014 को की गई ।

ग) प्रश्नाधीन स्थल की कटिबंध प्लान की प्रति अनुलग्नक–1 पर है ।

घ) इस स्थल को शॉपिंग मॉल के लिए नियोजित किया गया था ।

ड) अध्यक्ष, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सरकारी विभागों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए सक्षम हैं । प्राधिकरण की घटनोपरांत स्वीकृति अनुमोदन भी प्राप्त की गई थी ।

च) भूमि को शहरी निकाय विभाग को बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने बारे माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति को मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2017 द्वारा जारी किया गया एवम् भूमि का कब्ज़ा भूमि सम्पदा अधिकारी ह.श.वि.प्रा. कार्यालय रोहतक द्वारा 19.07.2017 को दिया गया ।

छ) डेवलपर के पक्ष में तथाकथित भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय मूलभूत संरचना हेतू कमेटी ऑफ सैकरेटरी (सी.ओ.एस.आई.) की बैठक दिनांक 08.03.2019 में लिया गया ।

ज) निर्माण पूरा होने के बाद, पट्टा समझौते को कार्यान्वयन किया जाएगा, जोकि स्थल पर चल रहा है।